

तारीख रजू 21.09.2020

उनवान

श्रीमति मीना देवी पत्नि सुदामा वगै० जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा
तहसील सूरौठ जिला करौली

वादीगण 06

बनाम

सुदामा पुत्र शिवराम वगै० जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील
सूरौठ जिला करौली

प्रतिवादीगण 05

दावा बावत हुक्म इम्तनाई दवाभी

यह दावा वादी की ओर से श्री एस.एल. चौधरी एडवोकेट के
जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए
सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

पत्रावली पेश हुई। वादिया एवं वकील कादिया
उपस्थित। वादी द्वारा आपसी राजीनामों का
कथन किया जाकर कहा कि वह वाद आगे
नहीं चलाना चाहते हैं। इस कारण वाद खारिज
किया जावे। वादी पक्ष को सुना गया। बूकि
वादी वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः
वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलकुमार होकर नम्बर से कम हो।

21-10-2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)